

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 04/2024

अनवान : -

1. दिनेश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- अपीलांट

बनाम्

1. सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर।
2. विधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
3. धर्मादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
4. सुमित्रा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
5. रामादेवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
6. सुनिता पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
7. सुखमा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
8. नितेश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

- रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश रोही मौजा चक 13 जेएसएन के  
नामान्तरण संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 सरपंच ग्राम  
पंचायत गुडिया  
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अपीलांट  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 03/12/2024

संक्षेप में अपील अपीलान्ट के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 14.674 हैक्ठु भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम की सदामत से कब्जा काश्त की भूमि थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से उक्त वाद भूमि की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोंडेंटस संख्या 8 के पक्ष में बहिब करवाई गई थी।

अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 16.10.2013 को हो चुका है तथा अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद मुताबिक वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोंडेंटस संख्या 8 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थे वाद भूमि की वसीयत का रेस्पोंडेंटस को ज्ञान होने के उपरान्त भी वाद भूमि का विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जिसको अपीलान्ट एव रेस्पोंडेंटस संख्या 8 निरस्त करवाकर अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद रेस्पोंडेंटस संख्या 2 ता 8 ने सरपंच ग्राम पंचायत गुडिया व राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जो कतई गलत है रेस्पोंडेंट संख्या 2 ता 8 को वसीयत के अच्छी तरह से ज्ञान था जानबूझ कर तथ्यों को छुपाकर सरपंच ग्राम पंचायत गुडिया से नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 दर्ज करवा लिया जो निरस्त योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 का ज्ञान कभी भी ज्ञान नहीं रहा न ही इन्तकाल से पूर्व अपीलान्ट को सुना गया ना ही इन्तकाल की अपीलान्ट को कोई सुचना दी गई उक्त नामान्तकरण का ज्ञान पटवारी हल्का से रिकार्ड देखने पर ज्ञान हुआ है अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण का ज्ञान हुआ है इसलिये अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 360 का ज्ञान होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा चक 13 जेएसएन का नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 स्वीकृत ग्राम पंचायत गुडिया को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टस को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 ता 8 को रजिस्ट्रर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा परोकार राज ने निवेदन किया की राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए अपील का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 14.674हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम की खातेदारी कब्जा काशत की भूमि थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.02.2013 को अपनी स्वेच्छो से वाद भूमि की वसीयत अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्टस संख्या 8 के पक्ष में करवाई गई थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम का देहान्त हो चुका है सुरजाराम के देहान्त होने पर सुरजाराम की वसीयत के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्टस संख्या 8 वाद भूमि के खातेदार काशतकार हो गये थे जो सुरजाराम की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

रेस्पोंडेन्टस संख्या 2 ता 8 ने सुरजाराम की वसीयत को छुपाकर कर रेस्पोंडेन्टस संख्या 1 से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया उक्त नामान्तकरण संख्या 360 दर्ज करते समय अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एक पक्षिय तौर से नामान्तकरण संख्या 360 विरास्तन से दर्ज किया गया है जो विधि विरुद्ध है अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाकर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा चक 13 जेएसएन का नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 निरस्त किया जाकर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की अपीलान्ट के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए अपील का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 14.674हैक् में से 1/2

उपखण्ड अधिकारी  
नेहर

हिस्सा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्टस संख्या 2 ता 8 के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था।

अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम ने अपनी जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 15.02.2013 को अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 8 के पक्ष में करवाई जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी सुरजाराम पुत्र आदराम का देहान्त दिनांक 16.10.2013 को हो चुका है


सुरजाराम पुत्र आदराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 20.12.2015 को तस्दीक किया गया था विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय सुरजाराम की वसीयत का ध्यान नहीं रखा गया ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके की विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने के समय सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का दायित्व था की सुरजाराम पुत्र आदराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व सुरजाराम के सभी वारिसान को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था यदि सुनवाई का अवसर दिया जाता तो सुरजाराम की वसीयत के सम्बन्ध में भी सुनवाई की जा सकती थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 14.674 हैक् मे से 1/2 हिस्सा भूमि जो सुरजाराम के नाम से दर्ज थी सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत करवाई गई थी सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण संख्या 360 दर्ज करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ना ही सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा गया एकपक्षिय तौर से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट को सुनवाई एवं सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर सभी पक्षकारन को सुना जाने के उपरान्त आगामी कार्यवाही करनी चाहिये थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर सभी पक्षकारन को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाया जाना उचित है

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 360 रोही मौजा चक 13 जेएसएन स्वीकृत दिनांक 20.12.2015 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गुढिया को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्टस उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एव सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )